

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बालोद (छ.ग.)

// सीमित निविदा //

क्रमांक / 504 / अ.भू.अ. / निविदा / लेखा / 2018


बालोद, दिनांक 29.06.2018

छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम 2002 के नियम 4 के उपनियम 4.3.2 अनुसार सीमित निविदा पद्धति के आधार पर बालोद जिले में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की वैधता बढ़ाने (नवीनीकरण) कुल संख्या 177 हेतु एतद् द्वारा मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों या पंजीकृत निर्माता जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के नवीनीकरण का कार्य करने के इच्छुक हैं, दिनांक 13.07.2018 समय दोपहर 3.00 बजे तक कलेक्टर भू-अभिलेख बालोद के कक्ष क्रमांक 78 में संलग्न नियम व शर्तें अनुसार जमा कर सकते हैं।

1. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 13.07.2018 समय 3.00 बजे तक।
2. लिफाफा खोलने की तिथि 13.07.2018 समय 4.00 बजे तक।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



अपर कलेक्टर
बालोद

पृ0क्रमांक / 505 / अ.भू.अ. / निविदा / लेखा / 2018

बालोद, दिनांक 29.06.2018


प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, भू-अभिलेखर छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, प्रथम-तल, ब्लॉक-02 नया रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, बालोद को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
5. स्टेनों टू कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद को सूचनार्थ।


अपर कलेक्टर
बालोद

नियम व शर्तः:-

1. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की वैधता बढ़ाने (नवीनीकरण) की संभावित संख्या 177 है। संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
2. निविदाकार को विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न भरने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार के फर्म का GST पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ सुरक्षा निधि (अमानत राशि) शासकीय खजाने में भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा रु. 1,500/- डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर (भू-अभिलेख) बालोद के नाम से जमा करना होगा।
5. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के द्वारा प्राप्त की जायेगी अथवा निर्धारित टेंडर बॉक्स में डाली जावेगी।
6. रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.07.2018 कार्यालयीन समय में दोपहर 3.00 बजे तक तथा निर्धारित तिथि के 1 घंटे पश्चात् अर्थात् उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोला जावेगा। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा खोली नहीं जायेगी। वापस लौटा दी जायेगी।
7. वित्तीय दर हेतु नवीनीकरण दर व Tax पृथक-पृथक अंकित करें।
8. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफा में सुरक्षा निधि DD तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षानिधि वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा। पहले लिफाफे के ऊपर सुरक्षा निधि तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र एवं अन्य लिखना अनिवार्य है।
9. निविदा समिति के समक्ष खोला जावेगा। निविदा खोलने के दौरान निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
10. अनिवार्य दस्तावेज संलग्न नहीं होने की दशा में सुरक्षानिधि DD लिफाफा नहीं खोला जायेगा।
11. अपर कलेक्टर महोदय के कक्ष क्रमांक 56 में समिति के समक्ष दिनांक 13.07.2018 को समय संध्या 4.00 बजे निविदा पत्र खोला जायेगा।
12. विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय, जिला बालोद का निर्णय अंतिम होगा।


अपर कलेक्टर
बालोद

वित्तीय दर

कार्य का नाम	दर	GST		कुल	रिमार्क
		CGST	SGST		
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की वैधता बढ़ाने (नवीनीकरण)					

फर्म की सील व हस्ताक्षर